पत्रसं0-चे0पो0-25क-परिपत्र /2008/ 2335 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

( चेक पोस्ट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 05 फरवरी , 2008

**समस्त**

**जोनल एडीशनल कमिश्नर**

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / वि0 नु0शा0/प्र0/अपील/उ0न्या0कार्य/सर्वो0न्या0कार्य)**

**डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर /**

**चेक पोस्ट, सचलदल, वि0 नु0शा,कर निर्धारण, वाणिज्य कर उ0प्र0**

**वाणिज्य कर अधिकारी , उ0प्र0 ।**

**Key word 1-47-Verification**

**Forms/ Penalty**

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र सं0 चेकपोस्ट-25-क-97-98/2160/वाणिज्य कर दि0 19.12.97 का संदर्भ लेने का कष्ट करे जिसके द्वारा शासन के अ0शा0पत्र सं0 -सं0वि0-2-3644/11-9(247)/97 दि0 12.12.92 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह निर्देश दिए गए थे कि इण्डियन इंस्ट्रीटयूट आफ मैनेजमेन्ट लखनऊ द्वारा संस्थान के शिक्षण व शोध कार्य के लिए प्रदेश के बाहर से माल आयात किए जाने पर निदेशक अथवा संस्थान द्वारा नामित अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दे दिया जाए कि अमुक वाहन में लाया जाने वाला माल (जिसमें माल का पूरा ब्यौरा, विक्रेता का नाम, पता, मूल्य इत्यादि ) संस्थान में शिक्षण व शोध कार्यो के लिए लाया जा रहा है, बिक्री हेतु नही, तो ऐसे मामलें में उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर जॉच चौकियों व सचल दल द्वारा फार्म-32 की मॉग न की जाए ।

2- इण्डियन इंस्ट्रीटयूट आफ मैनेजमेन्ट लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि दि0 01.01.2008 सें व्यापार कर अधिनियम के स्थान पर वैट व्यवस्था लागू हो जानें के क्रम में कतिपय जॉच चौकियों पर इन निर्देशों का पालन न करते हुए संस्थान के लिए मॅगाए जा रहें माल के संबंध में फार्म-39 (पूर्व में फार्म-32) की मॉग की जाती है ।

3- उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के परिपत्र सं0-479 दि0 29.12.2007 व परिपत्र सं0 2298 दि0 29.01.2008 सें स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके है कि उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कमिश्नर द्वारा विभिन्न परिपत्रों से जारी किए गए निर्देश अग्रिम आदेंशो तक प्रभावी रहेंगे । स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इण्डियन इंस्ट्रीटयूट आफ मैनेजमेन्ट लखनऊ द्वारा संस्थान के शिक्षण व शोध कार्य के लिए आयात किए जा रहे माल के संबंध में जॉच चौकियों / सचल दल इकाईयों द्वारा फार्म-39 (पूर्व में फार्म-32) मॉग किया जाना उचित नही है । अत: पुन: निर्देशित किया जाता है कि इण्डियन इंस्ट्रीटयूट आफ मैनेजमेन्ट लखनऊ द्वारा

संस्थान के शिक्षण व शोध कार्य के लिए आयात किए जा रहे माल के संबंध में जॉच चौकियों / सचल दल इकाईयों द्वारा फार्म-39 (पूर्व में फार्म-32) मॉग न की जाए ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

( सुनील कुमार )
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव , संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन (अनुभाग-2),उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ

2- अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।

3- एडमिनीस्ट्रेटिव आफिसर इण्डियन इंस्ट्रीटयूट आफ मैनेजमेन्ट प्रबन्ध नगर,सीतापुर रोंड़ लखनऊ को उनके पत्र दि0 21.01.2008 के संदर्भ में ।

4- समस्त सदस्य , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ।

5- संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , गोमतीनगर , लखनऊ

6- समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर , मुख्यालय ।

7- चेक पोस्ट अनुभाग/ वैट अनुभाग / कम्प्युटर / मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क अनुभाग को 25/ 5/ 5/5/ 10 प्रतियॉ अतिरिक्त

(जगमोहन लाल शर्मा)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (चे0 पो 0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय , लखनऊ